3/5/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनु०।
न्यायालय के पुकारे जाने पर ना तो
पक्षी ना ही वकील वादी न्यायालय के
समक्ष उपस्थित हुए। अतः वाद-वादी अदम
हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर
होकर नं. से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.03 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested